

कार्यालय, नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छ.ग.)

// निविदा सूचना //

क्रमांक ३४४ / निविदा / लोक / 2017-18

राजनांदगांव दिनांक १८६ / 2017

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में द्वारा निम्न कार्य हेतु छ.ग. शासन के आदेश के तहत केंद्रीयकृत पंजीयन में सक्षम श्रेणी(द एवं अपर श्रेणी) में पंजीकृत टेकेदारों से लोक निर्माण विभाग में लागू भवन/स्टोड एस.ओ आर.01.01.2015 अद्यतन संशोधन सहित दर के आधार पर फार्म "ए" मुहरखंद निविदायें दो लिफाका पट्टि से पंजीकृत डाक/स्टीड पोष्ट/कुरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमन्त्रित करती हैं। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर राकेंगे।

3. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि
4. प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि

६/६/2017 शाम 5.00 बजे तक
८/६/2017 शाम 5.00 बजे तक

कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

क्र.	कार्य का नाम	राशि लाख में	अमानती राशि (रुपये में)	निविदा फार्म	निविदा प्रपत्र मूल्य रुपये में	समयावधि
1	वार्ड न.38 के पार्श्व निधि से पी.री.सी.कार्य।	1.00	1000.००	ए	300.00	01 माह
2	वार्ड न.04 पुराना ढाबा सामुदायिक भवन के सामने इंटरलॉकिं कार्य	2.60	3000.००	ए	750.00	02 माह
3	वार्ड न.15 आगनबाड़ी केन्द्र क. 01 में रिपेयरिंग कार्य	0.81	1000.००	ए	300.00	01 माह

शर्त:

1. राशते निविदा मान्य नहीं होगी।
2. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
3. निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जावेंगे। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरांत ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
4. दरें अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किया जायेंगे।
5. नियन व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/प्राप्त की जा सकती है।
6. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत 1.00 प्रतिशत राशि की कटौति निर्माण कार्य के प्रस्तुत होने वाले देयकों से की जावेगी।

४८

የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

መተዳደሪያ

የመተዳደሪያ
መመሪያ

..... የሚከተሉ ትኩስ ነው | 12

በፌዴራል የሚከተሉ ትኩስ ነው | 13

ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 14

ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 15

ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 16

ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 17

ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 18

ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 19

ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 20

የሚከተሉ
መመሪያ - 11 / 2016-17

የኢትዮጵያ ሚኒስቴር

መተዳደሪያ

የመተዳደሪያ
መመሪያ

በ

13. የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 1

12. የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 2

11. የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 3

በ

10. የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 4

በ

9. የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 5

በ

8. የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 6

በ

7. የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 7

የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 8

የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 9

የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 10

የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 11

የሚከተሉ ትኩስ ነው ይህንን የሚከተሉ ትኩስ ነው | 12